

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
पश्चिम बंगाल में पंजीकृत चाय बागान

2834. श्री राजू बिष्ट:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में पंजीकृत चाय बागानों की जिलावार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) प्रत्येक चाय बागान में खेती के लिए क्षेत्र और बागानवार श्रमिकों के आवास के लिए क्षेत्र आवंटन को विनिर्दिष्ट करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) इसमें कुल कितने चाय बागान संचालित हैं, कितने अस्थायी रूप से बंद हैं (दो वर्ष या उससे कम समय से बंद हैं) तथा कितने बागान दो वर्ष से अधिक समय से बंद हैं तथा उनके बंद होने की तारीख क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इन जिलों में कुल कितने चाय बागानों को रूग्ण/बंद घोषित किया गया है;
- (ङ) सरकार द्वारा बंद/रूग्ण चाय बागानों के कामगारों को प्रदान किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (च) संकटग्रस्त चाय बागानों में कामगारों के कल्याण हेतु आवंटित और संवितरित निधि का बागानवार ब्यौरा क्या है; और
- (छ) पांच वर्षों के दौरान बंद रहे चाय बागानों को फिर से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उत्तरी बंगाल में जिले-वार चाय बागानों की संख्या निम्नवत है:

राजस्व जिला	बागानों की संख्या
दार्जिलिंग	138
कलिम्पोंग	5
अलीपुरद्वार	62
जलपाईगुडी	185
कूच बिहार	11
उत्तर दिनाजपुर	48
कुल योग	449

स्रोत: चाय बोर्ड

(ख): वर्ष 2022 के दौरान चाय बोर्ड द्वारा एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बागान-वार चाय की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शामिल किया गया। तथापि, श्रमिकों के आवास से संबंधित मामला चाय बोर्ड के दायरे में नहीं आता है और यह बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आता है, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग): पश्चिम बंगाल में प्रचालनात्मक चाय बागानों की कुल संख्या 435 है। 2 वर्ष या उससे कम समय से बंद पड़े चाय बागानों का विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	चाय बागान का नाम	ज़िला	बंद होने की तिथि
1	रुंगमूक / सीडर्स	दार्जिलिंग	24.04.2023
2	मून्दाकोटी	दार्जिलिंग	24.09.2023
3	चोंगटोंग	दार्जिलिंग	28.09.2023
4	नगरी	दार्जिलिंग	28.09.2023
5	अम्बूटिया	दार्जिलिंग	10.10.2023
6	पंडम	दार्जिलिंग	22.08.2024
7	दलसिंगपारा	अलीपुरद्वार	15.10.2023
8	रामझोरा	अलीपुरद्वार	01.11.2023
9	ढेकलापारा	अलीपुरद्वार	14.12.2023
10	सोनाली	जलपाईगुडी	30.12.2023

स्रोत: चाय बोर्ड

2 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े चाय बागानों का विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	चाय बागान का नाम	ज़िला	बंद होने की तिथि
1	इटेरिया	दार्जिलिंग	09.06.2019
2	पानीघाटा	दार्जिलिंग	10.10.2015
3	लंकापारा	अलीपुरद्वार	28.01.2016
4	रायपुर	जलपाईगुडी	12.09.2016

स्रोत: चाय बोर्ड

(घ): चाय अधिनियम, 1953 के अनुसार रुग्ण चाय बागानों की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर चाय बोर्ड द्वारा बागान को बंद माना जाता है। चाय बोर्ड के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछले 5 वर्षों के दौरान 14 चाय बागान बंद हो गए थे जिनमें से 4 बागान पुनः खोले गए हैं और वर्तमान में वे कार्यशील में हैं।

(ङ) से (छ): देश में चाय बागानों के श्रमिकों की कार्य स्थिति बागान श्रम अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संकटग्रस्त बागानों की कोई परिभाषा नहीं है। बंद पड़े चाय बागानों के श्रमिकों को राहत उपाय उपलब्ध कराना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

हालांकि श्रमिकों के मुद्दे संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, केन्द्र सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से 'चाय विकास एवं संवर्धन योजना' का क्रियान्वयन करती है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा कल्याणकारी उपाय करना है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बंद चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चों को पुस्तक और वर्दी अनुदान प्रदान करने तथा बंद चाय बागानों में श्रमिकों के विकलांग और गंभीर रूप से बीमार आश्रितों (गुर्दे, हृदय, यकृत रोग और कैंसर) के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
